

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संचिका संख्या-17/एल 1-01/2025-

/पटना, दिनांक-

डा० कोणार्क सिंह, व्याख्याता (संविदा), कंजर्वेटिव डेटिस्ट्री एवं एडोडोटिक्स विभाग, पटना दंत महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना को दिनांक-25.03.2025 से 31.03.2025 तक की अवधि में विदेश (दुबई) की यात्रा के लिए निम्न शर्तों के साथ स्वीकृति/अनुमति प्रदान की जाती है।

- 1 डा० सिंह, विदेश प्रवास के समय अपने पेशे से संबंधित अथवा किसी प्रकार का कार्य धनोपार्जन हेतु नहीं करेंगे।
- 2 डा० सिंह, इस यात्रा में होने वाले सम्पूर्ण व्यय का वहन निजी स्रोत से करेंगे।
- 3 डा० सिंह, विदेश जाने से पूर्व विदेश प्रवास की अवधि में अपने कार्यों के निष्पादन की व्यवस्था कर ही विदेश के लिए प्रस्थान करेंगे।
- 4 डा० सिंह, को उक्त निर्धारित तिथि के पश्चात् तुरंत वापस लौटकर पदस्थापित स्थान पर योगदान कर लेना होगा, अन्यथा सेवा शर्तों के अधीन दंड के भागी होंगे।
- 5 डा० सिंह, विदेश यात्रा से लौटने के पश्चात् अपने पार-पत्र की छायाप्रति विभाग को उपलब्ध करावेंगे।
- 6 इस यात्रा अवधि का विनियमन उनको देय अवकाश से स्वीकृत किया जायेगा।

ह०/-
(रेणु कुमारी)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक-17/एल 1-01/2025 - 170(17)

/पटना, दिनांक- 21.02.25

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै० दा० नि० को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्राचार्य, पटना दंत महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना/डा० कोणार्क सिंह, व्याख्याता (संविदा), कंजर्वेटिव डेटिस्ट्री एवं एडोडोटिक्स विभाग, पटना दंत महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पटना दंत महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी।